न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 86 / 2017

पीठासीन अधिकारी

करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 सीताराम पुत्र हणमान उम्र वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम सामोता का बास तहसील खण्डेला जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 गीगराज पुत्र पोखर।
2 रामचन्द्र पुत्र पोखर।
3 सागरमल पुत्र श्योसिंह।
4 विधाधर पुत्र श्योसिंह।
5 बाबुलाल पुत्र श्योसिंह।
6 नारायण पुत्र हुक्माराम।
7 गोपाल पुत्र गोविन्दराम।
8 प्रेमचन्द पुत्र गोविन्दराम।
9 देबूराम पुत्र पुराराम।
10 जगदीश पुत्र टीकू।
11 श्यामलाल पुत्र हणमान।
12 गंगाराम पुत्र भागु।
13 नून्दाराम पुत्र बालु उर्फ बालुराम।
14 मूलाराम पुत्र बालु उर्फ बालुराम।
15 लक्ष्मणराम पुत्र बालु उर्फ बालुराम।
16 कानी बेवा पेमाराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

17 बजरंगलाल पुत्र पेमाराम।
18 जगवीर सिंह पुत्र पेमाराम।
19 खांगाराम ।
20 सजना पत्नी कैलाश।
21 विकास उम्र 16 वर्ष पुत्र कैलाश।
22 बंशी उम्र 13 वर्ष पुत्र कैलाश।
23 झाबरमल पुत्र सूवालाल।
24 लिखमाराम पुत्र सूवालाल।
25 नेकीराम पुत्र सूवालाल।
26 सुल्तान पुत्र सूवालाल समस्त जाति जाट निवासीगण सामोता का बास तहसील खण्डेला जिला सीकर।
27 मैनेजर एस.बी.आई. बैंक शाखा पलसाना जिला सीकर।
28 मैनेजर एस.के. एस.बी. बैंक शाखा रींगस जिला सीकर।
29 मैनेजर पी.एन.बी. बैंक शाखा बावड़ी जिला सीकर।
30 मैनेजर बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पलसाना जिला सीकर।
31 मैनेजर बैंक ऑफ महाराष्ट्रा शाखा सीकर जिला सीकर राजस्थान।
32 भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर।
33 पटवारी हल्का ठिकरिया तहसील खण्डेला जिला सीकर।
34 प्रभू पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी सामोता का बास तहसील खण्डेला जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला सीकर प्रार्थना पत्र संख्या 7/14 बउनवानी गीगराज वगैरह बनाम सागरमल वगैरह अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट दिनांक 07.09.2017

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थित

1. श्री सांवरमल अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रणजीत सिंह अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 14.03.2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 7/2014 में पारित निर्णय दिनांक 07.09.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 326 रकबा 0.46 हैक्टेयर खसरा नम्बर 327 रकबा 0.49 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 0.95 हैक्टेयर तन ग्राम सामोता का बास पटवार हल्का ठिकरिया तहसील खण्डेला जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। जिसकी खातेदारी 1/2 हिस्सा तरतीबी अप्रार्थी संख्या 31 प्रभु पुत्र नानूराम के व 1/2 हिस्सा की खातेदारी प्रार्थीगण के मृतक पिता पोखर पुत्र रेखा के नाम दर्ज है जिस पर प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 31 अपने हक हिस्सानुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 325,328,334,335,336,337,338,339,345,346,347,348, 349 हैक्टेयर कुल किता 13 कुल रकबा 17.34 हैक्टेयर तन ग्राम सामोता का बास पटवार हल्का ठिकरिया तहसील खण्डेला जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 23 है। प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 31 की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 326,327 में आने जाने के लिये

व साधन ट्रेक्टर ट्रोली लाने ले जाने के लिये रास्ता 15 फिट चौडाई का अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 23 की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 325 रकबा 0.55 हैक्टेयर में से होकर जिसे नजरी नक्शा/ नक्शा ट्रेस में बजंरग लाल से दर्शित किया गया है। रास्ता कदीम से चला आ रहा है तथा कायम किया हुआ है तथा उक्त रास्ता से होकर प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 31 आवागमन करते चले आ रहे है तथा अपने साधन ट्रेक्टर ट्रोली आदि अपनी भूमि को काश्त करने तथा अनाज लाने व चारा पैदावार लाते आ रहे है परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ता राजस्व रिकाड व नक्शा ट्रेस में कटा हुआ नहीं होने के कारण प्रार्थीगण के आवागमन के एकमात्र रास्ता को अवरूद्व करना चाहते है तथा प्रार्थीगण के आवागमन में बाधा कारित करते है जिनसे प्रार्थीगण को अकथनीय क्षति हो रही है तथा प्रार्थीगण के आवागमन का उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है इसलिए उक्त रास्ता को राजस्व रिकार्ड में नक्शा ट्रेस में दर्ज करवाया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण धारा 251ए की परिधि में नही आता है नक्शा कदीम से चला आ रहा है खसरा नम्बर 325 रकबा 0.55 हैक्टेयर में से होकर कदीम से रास्ता चला आ रहा है। विचारण न्यायालय ने प्रकिया अपनाये बिना निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत नही है। अपीलांट की बहस नही सुनी गई, अपीलांट को मौका रिपोर्ट पर आपत्ति का कोई अवसर प्रदान नही किया गया है जवाब का अवसर भी नही दिया गया है। अप्रार्थी संख्या 19 मर चुका था मरे हुये व्यक्ति के विरूद्व निर्णय पारित किया है। जो विधि विरूद्व है। धारा 251ए के प्रकरण में तहसीलदार अथवा आईएलआर स्तर के अधिकारी द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार की जाती

है। प्रस्तुत प्रकरण में पटवारी द्वारा तैयार की गई है जो विधि के विपरित है। अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपील में विधिक बिन्दु देखे जाते है विचारण न्यायालय ने कोई अनियमितता नही की है। विचारण न्यायालय में इन्होने स्वंय ने जवाब प्रस्तुत नही किया तहसीलदार की रिपोर्ट पर इन्होने कोई ऐतराज प्रस्तुत नही किया। कदीमी रास्ते को बन्द करने की नोबत आई तब यह आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अपील अपीलांट मियाद बाहर है अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए का है इसके प्रावधानों के अन्तर्गत मौका रिपोर्ट तहसीलदार अथवा आईएलआर स्तर के अधिकारी द्वारा तैयार की जाती है। इस सन्दर्भ में उपखण्ड अधिकारी खण्डेला ने अपने पत्रांक 9150/11.12.2015 से तहसीलदार खण्डेला को निर्देशित भी किया है कि आप स्वंय मौके पर जाकर रास्ते की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें। इसके विपरित तहसीलदार खण्डेला ने अपने पत्र कमांक 582/18.04.2016 से उपखण्ड अधिकारी खण्डेला को मौका रिपोर्ट प्रेषित की है। इस पत्र में अंकित किया है कि उपरोक्त प्रांसागिक पत्रांक की अनुपालना में निवेदन है कि धारा 251ए एलआरएक्ट की जांच पटवारी हल्का ठिकरिया से करवाई गई जो मूल जांच रिपोर्ट इस पत्र के संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित है। इस अंकन से स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट तहसीलदार स्वंय द्वारा तैयार नही की जाकर पटवारी हल्का से तैयार करवाई है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरित है इसके आधार पर पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक अपील अधिकारी
खाकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायहित में धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के विधिक प्रावधानों की पालना में गुणावगुण पर पुन निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.04.2019 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

([illegible] सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर